भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3996
गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों पर आग से जुड़ी दुर्घटनाएं

3996. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने हवाईअड्डे की इमारतों में आग की दुर्घटनाओं में हाल की वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए एक सुरक्षा परामर्श जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी कर्मचारियों से उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित एसओपी का ईमानदारी से पालन करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि यदि उचित सुरक्षा उपाय किए गए होते तो कई अग्नि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डों पर आगजनी संबंधी घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए अग्नि संरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु नियमित रूप से निर्देश जारी करता है।

(ख) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), विमानन संरक्षा विनियामक, हवाईअड्डों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर) प्रकाशित करता है। अगस्त 2015 में जारी किए गए डीजीसीए सीएआर खण्ड 4, श्रृंखला ख, भाग 1, पैराग्राफ 9.2 और संबंधित संशोधन लाइसेंस प्राप्त एयरोड्रोमों पर बचाव और अग्निशमन सेवाओं के प्रावधान को निर्दिष्ट करते हैं ताकि एयरोड्रोम पर या उसके आसपास होने वाली विमान दुर्घटनाओं या घटनाओं की स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। इसमें एयरोड्रोमों पर अग्निशमन केंद्रों को उचित स्थान पर स्थापित होना और बचाव एवं अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित होना अपेक्षित है।

डीजीसीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त एयरोड्रोमों पर वार्षिक निगरानी निरीक्षणों और स्पॉट जाँच के माध्यम से इन संरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी की जाती है।

*****